संख्याः 256(दो)/न्याय विभाग/२००३

प्रेषक,

सचिव,
न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तरांचल,
नैनीताल ।

देहरादून, दिनांक, 9 मई, २००३

न्याय विभाग

विषय :- मा० उच्च न्यायालय में रिट याचियों द्वारा अवमानना याचिकाओं में मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को पक्षकार बनाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेशों के अनुपालन को लेकर प्रायः रिट कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अवमानना याचिकाओं में मुख्य सचिव को भी पक्षकार बनाया जाता है जबकि मुख्य सचिव विभाग विशेष के नैत्यिक कार्यों को नहीं देखते हैं बल्कि वे विभागीय सचिव द्वारा देखे जाते हैं । मुख्य सचिव को अवमानना याचिका में विपक्षी योजित करने से प्रतिशपथ पत्र आदि दाखिल करने की कार्यवाही में उनका बहुमूल्य समय व्यर्थ जाता है साथ ही एक अवांछित परिपाटी भी बनती है । किसी प्रकरण में यदि अवमानना की स्थिति उत्पन्न मानी भी जाय तो इसके लिए विभागीय सचिव को विपक्षी बनाया जाना चाहिए ।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि अपने स्तर से विधि अधिकारियों को निर्देश दें कि उन्हें जिस मामले में भी यह जानकारी उपलब्ध हो कि मुख्य सचिव को भी नित्यचर्या (routine) के रूप में अवमानना नोटिस जारी हुआ है वहीं पर वे मा० उच्च न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें कि मुख्य सचिव अवमानना के लिए उत्तरदायी नहीं है बल्कि विभागीय सचिव को ही नोटिस देना पर्याप्त है। इस प्रकार प्रत्येक अवमानना के मामले में नित्यचर्या (routine) में मुख्य सचिव को नोटिस जारी होने से शासन के अन्य कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है ।

कृपया उक्त स्थिति सभी राज्य विधि अधिकारियों के संज्ञान में लाकर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(बी० लाल)
सचिव

संख्याः 256(2)/न्याय विभाग/२००३, तदिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।

(बी० लाल)
सचिव